रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2019/भाद 11, 1941
No. 506] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2019/BHADRA 11, 1941

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 623(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 में, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इस आदेश को विदेशी विषयक (अधिकरण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2019 कहा जाएगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 में, -

(अ) पैराग्राफ 3क में,-

(i) उप-पैरा 1 में, "अपील करते समय", शब्दों के पश्चात "नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 की अनुसूची के पैराग्राफ 8 के तहत यथाविनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) उप-पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियम, 2003 की अनुसूची के पैराग्राफ (8) के तहत यदि कोई अपील नहीं की जाती है, तो जिला मजिस्ट्रेट इस प्रश्न पर अधिकरण की राय जानने के लिए उसे मामला भेज सकता है कि पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (1) के अनुसार, व्यक्ति विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) के अर्थ के भीतर विदेशी है या नहीं,";

(iii) उप-पैरा (9) में, "और उप-पैरा (6) में उल्लिखित संदर्भ भी" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप कर दिया जाएगा।

(iv) उप-पैराग्राफ (14) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(14) अपीलकर्ता, सरकार की ओर से उपस्थित होने वाले वकील तथा जिला मजिस्ट्रेट का प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई है, की सुनवाई के बाद अधिकरण अपील का निपटान करेगा:

परन्तु यह कि, यदि अपील खारिज कर दी जाती है तो, अधिकरण यह भी स्पष्ट निष्कर्ष देगा कि अपीलकर्ता विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) के अर्थ के भीतर एक विदेशी है या नहीं।"

(v) उप-पैराग्राफ (15) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(15)(क) अधिकरण के अंतिम आदेश में मामले पर उसकी राय शामिल होगी कि अपीलकर्ता एनआरसी में शामिल होने के लिए पात्र है या नहीं और इसमें अधिकरण की यह राय भी शामिल होगी कि अपीलकर्ता, यदि उसकी अपील खारिज कर दी जाती है, विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के अर्थ के भीतर एक विदेशी है या नहीं।

(ख) अधिकरण का अंतिम आदेश उन तथ्यों और निष्कर्ष का संक्षिप्त विवरण होगा जिसके आधार पर अधिकरण अपने निर्णय पर पहुंचा है।";

(आ) पैराग्राफ 3ख का लोप कर दिया जाएगा।

[फा. सं. 25022/59/2018-एफ-1]

अनिल मलिक, संयुक्त सचिव (विदेशी)

टिप्पण : मूल आदेश दिनांक 23 सितंबर, 1964 की सा.का.नि. संख्या 1401 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 मई, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 409(अ) द्वारा इसमें पिछला संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 30th August, 2019

G.S.R. 623(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following order further to amend The Foreigners (Tribunals) Order, 1964, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) This order may be called the Foreigners (Tribunals) (Second Amendment) Order, 2019.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In The Foreigners (Tribunals) Order, 1964,-

(A.) In paragraph 3A,-

(i) in sub-paragraph (1), after the words "While preferring an appeal", the words, figures and brackets "within the period of one hundred twenty days as specified under paragraph 8 of the Schedule appended to the Citizenship (Registration of Citizens and issue of National Identity Cards) Rules, 2003" shall be inserted;

(ii) for sub-paragraph (6) the following shall be substituted, namely:-

"(6) In case no appeal is preferred under paragraph (8) of the Schedule appended to the Citizenship (Registration of Citizens and issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the District Magistrate may refer to the Tribunal for its opinion the question as to whether the person is a foreigner or not within the meaning of The Foreigners Act, 1946 (31 of 1946) in terms of sub-paragraph (1) of paragraph 2.";

(iii) in sub-paragraph (9), the words, brackets and figures "and also the reference mentioned in sub-para (6)" shall be omitted.

(iv) for sub-paragraph (14), the following shall be substituted, namely:-

"(14) After hearing the Appellant, the pleader appearing for the Government and the authorised representative of the District Magistrate, if any, the Tribunal shall dispose of the appeal:

Provided that the Tribunal shall also, if the Appeal is rejected, give a clear finding as to whether the Appellant is a foreigner or not within the meaning of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946)."

(v) for sub-paragraph (15), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(15)(a) The final order of the Tribunal shall contain its opinion on the matter whether the Appellant is eligible for inclusion in the NRC or not and it shall also contain the opinion of the Tribunal as to whether the Appellant, if his Appeal is rejected, is a foreigner or not within the meaning of the Foreigners Act, 1946.

(b) The final order of the Tribunal shall be a concise statement of facts and conclusion based on which the Tribunal has arrived at its decision.";

(B.) the paragraph 3B shall be omitted.

[F. No. 25022/59/2018-F-1]

ANIL MALIK, Jt. Secy. (Foreigners)

Note : The principal Order was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 1401, dated the 23rd September, 1964 and was last amended by notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs *vide* number G.S.R. 409(E), dated the 30th May, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.02 20:12:29 +05'30'